

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा-करौली जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन — प्रार्थी

बनाम

हजारी पुत्र नवल जाति गुर्जर निवासी खरैटपुरा, तहसील करौली हाल तहसील मासलपुर जिला करौली — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत् ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत्

निर्णय

दिनांक-12.09.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया है।

तत्पश्चात् बहस सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सुनी गयी।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी हजारी पुत्र नवल जाति गुर्जर निवासी खरैटपुरा, तहसील करौली हाल तहसील मासलपुर, जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा करौली से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं कराने पर अप्रार्थी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 336362/-रूपये, ब्याज 256956/-रूपये, द0ब्याज 35631/-रूपये कुल राशि 628949/-रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 318000/-रूपये, ब्याज 391500/-रूपये द0ब्याज 75895/-रूपये, बीमा 18362/-रूपये, वसूली व्यय 1798/-रूपये,

प्रकरण संख्या-20/2018

तारीख रजु-21.03.2018

नीलामी व्यय 40278/-सहित कुल राशि 845833/-रूपये की अदायगी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अब उक्त डिक्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की बैंक में बंदकित सम्पति आराजी खसरा नं. 37 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 38 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 39 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 95 रकबा 01 विस्वा, ख.नं. 96 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 97 रकबा 15, ख.नं. 98 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा, ख.नं. 99 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 100 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 101 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 102 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 103 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 104 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 106 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा, ख.नं. 175 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 219 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 273 रकबा 05 विस्वा, ख.नं. 472 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 871 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 879 रकबा 16 बीघा, ख. नं. 880 रकबा 1 बीघा 02 विस्वा, ख.नं. 881 रकबा 1 बीघा 01 विस्वा, एवं ख.नं. 882 रकबा 16 विस्वा कुल किता 23 कुल रकबा 31 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 1/2 भाग तथा आराजी खसरा नंबर 208 रकबा 04 विस्वा, ख.नं. 209 रकबा 05 विस्वा, ख.नं. 911 रकबा 05 विस्वा एवं ख.नं. 912 रकबा 14 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 08 विस्वा हिस्सा 1/6 भाग बाके ग्राम जमूरा पटवार हल्का जमूरा तहसील करौली हाल तहसील मासलपुर जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 28.02.2014, 05.03.2014 एवं 17.12.2015 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थी की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंका की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा-करौली के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने कथन किया है।


सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. शाखा-हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली की बकाया ऋण राशि असल 336362/-रूपये, ब्याज 256956/-रूपये, द0ब्याज 35631/-रूपये कुल राशि 628949/-रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 318000/-रूपये, ब्याज 391500/-रूपये द0ब्याज 75895/-रूपये, बीमा 18362/-रूपये, वसूली व्यय 1798/-रूपये, नीलामी व्यय 40278/-सहित कुल राशि 845833/-रूपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी की बैंक में बंदकित भूमि आराजी खसरा नं. 37 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 38 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 39 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 95 रकबा 01 विस्वा, ख.नं. 96 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 97 रकबा 15, ख.नं. 98 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा, ख.नं. 99 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 100 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 101 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 102 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 103 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 104 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 106 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा, ख.नं. 175 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 219 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 273 रकबा 05 विस्वा, ख.नं.

प्रकरण संख्या-20/2018

तारीख रजु-21.03.2018

472 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 871 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 879 रकबा 16 बीघा, ख.नं. 880 रकबा 1 बीघा 02 विस्वा, ख.नं. 881 रकबा 1 बीघा 01 विस्वा, एवं ख.नं. 882 रकबा 16 विस्वा कुल किता 23 कुल रकबा 31 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 1/2 भाग तथा आराजी खसरा नंबर 208 रकबा 04 विस्वा, ख.नं. 209 रकबा 05 विस्वा, ख.नं. 911 रकबा 05 विस्वा एवं ख.नं. 912 रकबा 14 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 08 विस्वा हिस्सा 1/6 भाग बाके ग्राम जमूरा पटवार हल्का जमूरा तहसील करौली हाल तहसील मासलपुर जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी गई भूमि आराजी खसरा नं. 37 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 38 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 39 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 95 रकबा 01 विस्वा, ख.नं. 96 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 97 रकबा 15, ख.नं. 98 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा, ख.नं. 99 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 100 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 101 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 102 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 103 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 104 रकबा 17 विस्वा, ख. नं. 106 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा, ख.नं. 175 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 219 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 273 रकबा 05 विस्वा, ख.नं. 472 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 871 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 879 रकबा 16 बीघा, ख.नं. 880 रकबा 1 बीघा 02 विस्वा, ख.नं. 881 रकबा 1 बीघा 01 विस्वा, एवं ख.नं. 882 रकबा 16 विस्वा कुल किता 23 कुल रकबा 31 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 1/2 भाग तथा आराजी खसरा नंबर 208 रकबा 04 विस्वा, ख.नं. 209 रकबा 05 विस्वा, ख.नं. 911 रकबा 05 विस्वा एवं ख.नं. 912 रकबा 14 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 08 विस्वा हिस्सा 1/6 भाग बाके ग्राम जमूरा पटवार हल्का जमूरा तहसील करौली हाल तहसील मासलपुर जिला करौली को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा करौली के पक्ष में अंतरित की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार मासलपुर को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली